

(1)

व्यवहार प्रकरण क्रमांक-2 ए/14 इ0दी0

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड  
(समक्ष—पी0सी0आर्य)

व्यवहारवाद क्रमांक: 2ए/2014

संस्थापन दिनांक: 19.11.2013

1. श्रीमती मथुराबाई, पत्नी— रामनाथ जाटव,  
(पूर्व पत्नी स्व.लालाराम जाटव), आयु 53 साल,
2. भीकाराम, पुत्र— लालाराम, आयु 22साल,  
निवासीगण—ग्राम लेहचूरा का पुरा, परगना गोहद,  
जिला भिण्ड .....वादीगण  
वि रु द्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, भिण्ड
2. सामन्तासिंह, पुत्र—मानसिंह, आयु—25 साल,  
निवासी—ग्राम लेहचूरा का पुरा परगना गोहद,  
जिला भिण्ड
3. विशम्भर, पुत्र रनवीरसिंह, आयु—26 साल,  
निवासी—दुडीला, गोहद जिला भिण्ड.....प्रतिवादीगण

---

वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रयपत्र दिनांक 5 जुलाई 2010 को शून्य घोषित किए जाने बाबत

---

वादीगण की ओर से श्री अवध बिहारी पाराशर अधिवक्ता उपस्थित।  
प्रतिवादी क्रमांक—1 की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर ए0जी0पी0।  
प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 की ओर से श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता।

---

**—::— नि र्ण य —::—**

(आज दिनांक 8 अगस्त, 2014 को घोषित किया गया)

1. वादीगण ने उपरोक्त वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि सर्वे नं0 1300 रकबा 0.92 हेक्टर स्थित ग्राम लेहचूरा का पुरा, तहसील गोहद के 1/2 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्यधारी होने की घोषणा और कब्जा काशत में व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रय पत्र दिनांक 5/7/10

को उनके मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किए जाने की आज्ञाप्ति बाबत मूलतः प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध पेश किया है।

2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एक ही ग्राम के निवासी हैं और एक दूसरे से दावे से पूर्व परिचित हैं। यह भी स्वीकृत है कि वादी मथुराबाई के पूर्व पति स्व० लालाराम थे, जिससे उसे ग्राम लेहचूरा का पुरा तहसील गोहद स्थित सर्वे नं० 1300 रकवा 0.92 हेक्टेयर में से 1/2 भाग प्राप्त हुआ था, जो उसे उसके पुत्र भीकाराम के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। यह भी निर्विवादित है कि मथुराबाई ने लालाराम की मृत्यु के पश्चात वर्तमान पति रामनाथसिंह के साथ सामाजिक रीतिरिवाज के साथ विवाह किया। यह भी निर्विवादित है कि वादी भीकाराम मथुराबाई को स्व० लालाराम से उत्पन्न संतान है, जो साथ-साथ रहते हैं। यह भी निर्विवादित है कि वर्तमान में विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 के नाम से राजस्व अभिलेख में वतौर भूमिस्वामी प्रदर्श डी-1 के विक्रयपत्र के आधार पर इन्द्राजित हैं।

3. संक्षेप में वादीगण का वाद इस प्रकार है कि वादीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा क्रमांक 1300 रकवा 0.92 हेक्टेयर ग्राम लेहचूरा का पुरा परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थिति है जिसमें वादीगण का 1/2 समान हिस्सा है। उक्त विवादित भूमि पर वादिया मथुराबाई अपने पूर्व पति स्व० लालाराम की मृत्यु के पश्चात से खेती करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ने वादिया के पुत्र को विश्वास में लेकर शराब के नशे में कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर करा और यह कहते हुए कि ईंट का भट्टा लगाने के लिए मिट्टी उठाने के लिए कागज लिख रहे हैं, अनुबंध लिखवा लिया और जिसके एवज में प्रतिवादीगण ने वादिया को मुआबजे के वतौर एक बीघा जमीन के लिए एक लाख रुपये दिये। दिनांक 03.07.1011 को जब वादीगण अपना खेत जोतने गये तो दीवानसिंह, विशम्भरसिंह, सामन्तसिंह तथा धर्मू आदि आ गये जिन्होंने बताया कि जमीन उनको बँच दी है। जब वादीगण ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादिया के लडके को धक्का दिया और गालीगलोच कर मारपीट की गई। वादीगण को धोके में रखकर वादग्रस्त जमीन का विक्रयपत्र सम्पादित करा लिया है। इस संबंध में वादीगण ने थाना हरिजन थाना भिण्ड में रिपोर्ट की किन्तु कोई कार्यवाही

नहीं हुई। वादीगण के स्वत्व की भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर लिया है। अतः दावा पेश कर वादीगण को कब्जे से बेदखल करने तथा विवादित भूमि प्रतिवादीगण के द्वारा अन्यत्र अंतरित करने से निषेधित किए जाने की प्रार्थना की गई।

4. प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 के द्वारा अपने जवाब में स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र में किए गए शेष अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए यह अभिकथित किया गया है कि वादीगण ने स्वेच्छया पूर्वक अपनी भूमि का वयनामा किया है और 5,67,000/-रुपये प्राप्त कर प्रतिवादीगण के पक्ष में वयनामा सम्पादित किया है। उनके द्वारा मिट्टी उठाने की कभी कोई बातचीत वादीगण से नहीं की गई। मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा है और उनका नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेख में हो चुका है। मथुराबाई अत्यंत चालाक महिला है, जो वर्ष 2007 से न्यायालयीन कार्यवाही में भाग ले रही है और न्यायालय की प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। अतः दावा सब्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिवादी क्रमांक-1 जो प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है ने कोई जबाबदावा पेश नहीं किया है और मौखिक रूप से दावे का विरोध करते हुए दावा निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की रचना की गई, जिन पर लिए गए निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित हैं:-

क्रमांक	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या, वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 1300 रकवा 0.92 स्थित ग्राम लेहचूरा का पुरा तहसील गोहद के समान भाग के भू-स्वामी स्वत्वधारी हैं।	
2	क्या, उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का वैध आधिपत्य है?	
3	क्या, प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 वादीगण के स्वत्व एवं शांतिपूर्ण आधिपत्य में अवैधानिक तरीके से व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या, पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 5 जुलाई 2010 छल कपट पर आधारित होकर वादीगण के मुकाबले शून्य व प्रभावहीन है?	
5	क्या, वादीगण का वाद आधिपत्य वापिसी की मांग बगैर प्रचलन योग्य है?	
6	अन्य सहायता एवं वाद व्यय?	

**— सकारण निष्कर्ष —**

**07. वाद प्रश्न क्र० 0-01 एवं 4 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण :-**

उक्त दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा, सरलता के लिए उनका एक साथ विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा है ।

08. उक्त दोनों वादप्रश्नों का प्रमाण भार वादीगण पर है । वादीगण ने अपने अभिवचनों में सर्वे क्रमांक-1300 रकवा 0.92 हैक्टेयर स्थित ग्राम महचूरा का पुरा तहसील गोहद का भूमिस्वामी होना अभिवचनित करते हुए प्रदर्श पी.-2 जिसका मूल प्रदर्श डी.-1 का पंजीकृत विक्रयपत्र है, उसे छल-कपट पर आधारित होकर चुनौती देते हुए स्वयं को स्वत्व आधिपत्यधारी होना बताते हुए घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा और विक्रयपत्र दिनांकित-5/7/10 को उनके मुकाबले व्यर्थ व प्रभावशून्य होने की आज्ञा बाबत मूलतः पेश किया । वादोत्तर के अभिवचनों में वादीगण का उक्त सर्वे क्रमांक पर पूर्व स्वामित्व एवं आधिपत्य से इंकार नहीं किया गया है किन्तु प्रतिवादी क्र.-2 व 3 जो कि प्रकरण के मूल प्रतिवादी हैं। उन्होंने प्रदर्श डी.-1/प्रदर्श पी.-2 के बयानां को सप्रतिफल विधिवत कब्जा का आदान-प्रदान बताते हुए उसके आधार पर वादीगण के वाद आधारों का खण्डन किया है । अभिलेख पर उभयपक्ष की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गयी है, ऐसे में संपूर्ण सामग्री के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करना होगा ।

09. प्रदर्श पी.-1 वादीगण की भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका है, जिसके अवलोकन से यह तो स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त सर्वे क्रमांक-1300 रकवा 0.92 हैक्टेयर के वादीगण स्वत्वधारी रहे हैं, जिसका मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य में अभिवचनों में प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 की ओर से विरोध नहीं है लेकिन वर्तमान में या वाद प्रस्तुति दिनांक को वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के स्वत्वधारी थे अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रदर्श डी.-1/पी.-2 का प्रश्नगत् पंजीकृत विक्रयपत्र वैध है या वह छल-कपट पर आधारित होकर वादीगण के मुकाबले व्यर्थ व प्रभावशून्य है ।

10. इस संबंध में वादी मथुराबाई वा.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में वादपत्र

के अभिवचनों की तरह ही मुख्य परीक्षण का अभिसाक्ष्य देते हुए वादग्रस्त भूमि पूर्व पति स्व. लालाराम के मृत्यु उपरान्त पुत्र भीकाराम के साथ उत्तराधिकार में प्राप्त होना बताते हुए यह कहा है कि प्रतिवादी सामंत सिंह और विशम्भर गुर्जर ने उसके पुत्र को धोखा देकर विवादित जमीन को ईंटों को निकालने के बहाने अनुबंध लिखे जाने की कहकर हस्ताक्षर कराकर कूट रचित फर्जी विक्रयपत्र संपादित करा लिया और जमीन एक वर्ष के लिए एक बीघा के लिए एक लाख रुपये में दी गयी थी । वह राशि भी उन्होंने पूरी नहीं दी और धोखे में रखकर बिना प्रतिफल अनुबंध के बहाने विक्रयपत्र संपादित करा लिया, जिसकी उसने थाना मालनपुर और पुलिस अधीक्षक भिण्ड में भी शिकायत की ओर कार्यवाही ना होने पर दावा किया । उसकी इस बात का गुडडीबाई वा.सा.-2, जगदीश वा.सा.-3 और मिजाजीलाल वा.सा.-4 ने मुख्य परीक्षण के प्रस्तुत शपथपत्रों में समर्थन किया है ।

11. मुख्य परीक्षण में किसी भी साक्षी ने भीकाराम को मानसिंह रूप से अस्वस्थ नहीं बताया है, ना ही मूल वाद जो कि अकिंचन के रूप में पेश किया गया, उसमें ऐसा कोई आधार लिया गया । भीकाराम मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका कोई वादमित्र भी नहीं बनाया गया है तथा मूल वादपत्र दोनों वादीगण ने सत्यापित करते हुए पेश किया है । सत्यापित करने से यह आशय निकलता है कि भीकाराम वाद प्रस्तुति के समय पूर्णतः सक्षम पक्षकार की हैसियत से आया था और सत्यापन के लिए भी समर्थ रहा । इसी कारण उसने वादपत्र सत्यापन किया, जबकि वादिनी मथुराबाई प्रतिपरीक्षण में भीकाराम को पैरा-7 में दिमागी तौर पर अस्वस्थ बताते हुए यह कहती है कि उसके लड़के का दिमाग खराब है वह प्रतिवादीगण के द्वारा भीकाराम का दारू पिलाकर उसके दिमाग खराब कर देना कहती है और यह भी कहती है कि बयनामा के पहले उसका लडका दारू नहीं पीता था । दूसरी ओर वह अपने वादपत्र में दारू पिलाने वाली बात लिखना कहती है, जबकि अभिवचनों में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं है । इस बिन्दु पर वह यह भी कहती है कि उसका लडका बयनामा किए जाने के दो माह पहले से पागल है इस बाबत् भी वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं है, ना ही भीकाराम के लिए कोई वादमित्र बनाया गया है, जो कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।

12. अभिलेख पर वादी क्रमांक-2 भीकाराम के मानसिक रूप से अस्वस्थ

होने संबंधी कोई चिकित्सीय प्रमाण भी पेश नहीं किया गया है, ना ही कोई चिकित्सक साक्षी के रूप में पेश कराया गया है । ऐसे में भीकाराम के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की दी गयी साक्ष्य जहां एक ओर वाद प्रस्तुति के बाद तैयार की गयी परिलक्षित होती है। वहीं दूसरी ओर वह अभिवचनों से बाहर जाकर दी गयी है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिवचनों से बाहर जाकर दी गयी साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं होती है । जैसाकि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **हसमथ राय विरुद्ध रघुनाथप्रसाद 1982 एम.पी.आर.सी.जे. के पेज-01** में प्रतिपादित किया गया है इसलिये ऐसी साक्ष्य भी ग्राह्य योग्य नहीं मानी जा सकती है और उससे वादीगण के आधारों को कोई बल प्राप्त छल-कपट के बिन्दु पर नहीं होता है ।

13. इस बिन्दु पर अन्य साक्षियों को देखा जाये तो गुडडीबाई वा.सा.-2 जिसने अनुबंध की बात का वादी का समर्थन किया है कि मथुरीबाई की दो बीघ 6 विस्वा जमीन एक वर्ष के लिए ईंटें बनाने के लिए सामंत वगैर ने एक लाख रुपये बीघा के हिसाब से उसके सामने ली थी और उसके सामने ही तय हुआ था तथा उसके सामने ही ईंटें निकलाने की लिखापढी मथुराबाई गोहद तहसील जाने की पर बातचीत हुई थी । अर्थात् वह अनुबंध के सम्व्यवहार की साक्षी स्वयं को बताती है, लेकिन वादपत्र के अभिवचनों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि ईंटें बनाने के लिए एक साल के लिए वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र.-2 व 3 ने एक लाख रुपये बीघा के हिसाब से मिटटी निकालने को ली, जिसकी बातचीत गुडडीबाई के सामने हुई । अर्थात् अभिवचनों में गुडडीबाई साक्षी नहीं है और यह बाद में प्रकट की गयी है । ऐसे में गुडडीबाई के समक्ष साक्षी होने को ग्राह्य नहीं किया जा सकता है और गुडडीबाई का इस संबंध में अभिवचनों से भिन्न साक्षी होना वर्णित न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत मुताबिक गुडडीबाई की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । क्योंकि यदि वह अनुबंध की साक्षी थी तो उसे अभिवचनों में स्पष्ट करना चाहिये था, जिसका इस प्रकरण में सर्वथा अभाव है । ऐसे में अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न है और विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां अभिवचन और साक्ष्य विरोधाभासी है तो ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय न्याय दृष्टांत **गनेश प्रसाद विरुद्ध श्रीनाम 1986 भाग-2**

**एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट-193** में प्रतिपादित किया गया है ।

14. भीकाराम के संबंध में वा0सा0-2 ने पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि वह भीकाराम को अपने केस में दो बार पेशी पर लेकर आयी थी । भीकाराम उसे अपने साथ लेकर कचहरी नहीं आया । भीकाराम किन किन लोगों के साथ उठता-बैठता और मिलता जुलता है इसकी उसे जानकारी नहीं है और उसके साथ आने-जाने वाले लोगों को उसने शक्ल से नहीं देखा, न नाम से जानती है उसका और भीकाराम का मकान अलग अलग होकर आमने-सामने हैं । उसका यह भी पैरा-5 में कहना रहा है कि जब उसके सामने खेत के संबंध में बातचीत हुई थी उसके एक-डेढ़ साल पहले से भीकाराम शराब पीता था तथा वह कहती है कि भीकाराम अपना भला बुरा सोचने में पूर्णतः सक्षम था । यदि उक्त साक्षी की इस बिन्दु पर भरोसा किया जाये तो मथुराबाई का यह कथन गलत हो जाता है कि बयानामा से दो महीने पहले से भीकाराम पागल है ।

15. जगदीश वा.सा.-3 जो कि मथुराबाई का सगा भाई है और भीकाराम उसका भांजा है । उसने भीकाराम के संबंध में पैरा-6 में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि उसका भांजा भीकाराम पढा लिखा है, लेकिन थोड़ा बहुत पढा है और उसकी बुद्धि खराब रहती है उसे लोग-वाग शराब पिला देते हैं। अर्थात् वह मानसिक रूप से पीड़ित होनी की पुष्टि नहीं करता है । दूसरी ओर इस प्रकरण की विषय वस्तु के संदर्भ देखा जाये तो उक्त साक्षी का यह कहना महत्वपूर्ण है कि उसका भांजा भीकाराम बयानामा करने के पहले शराब नहीं पीता था और बयानामा करने के बाद दारु शुरू की है तथा बयानामा करने के पहले अपना भला-बुरा सोचने में सक्षम था, अब सक्षम नहीं है, इससे भी मथुराबाई का खण्डन होता है कि बयानामा के पहले से भीकाराम शराब पीता था और वह पागल था । वा.सा.-3 को यह जानकारी नहीं है कि उसका भांजा भीकाराम को क्या हो गया है । उसके मुताबिक वह रात को योंही अपने आप चल देता है लेकिन उसका कोई इलाज नहीं कराया गया है । इससे भी भीकाराम के बहलाये-फुसलाये जाने का बिन्दु कतई सुदृण नहीं रह जाता है और भीकाराम का साक्षी के रूप में ना आना वादीगण के वाद आधार को निर्बल बनाता है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जो तथ्य जिस व्यक्ति की जानकारी में हो उस पर उसी को साक्ष्य देना चाहिये यदि वह साक्ष्य नहीं देता है तो

उसके विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जायेगी और भीकाराम का हस्तगत प्रकरण में साक्ष्य को ना आना ऐसी उपधारणा वादीगण के विरुद्ध निर्मित किए जाने को बल देता है कि वह सक्षम साक्षी होते हुए भी साक्ष्य को नहीं आया । इस संबंध में न्याय दृष्टांत **मुल्ला विरुद्ध हरीसिंह 1090 जे.एल.जे. पेज-207** अवलोकनीय है ।

16. मिजाजीलाल वा.सा.-4 के रूप में पेश किया गया, किन्तु प्रतिपरीक्षा के लिए उसे उपस्थित नहीं किया गया इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का अभिसाक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत **गोपालदास कैनवाल विरुद्ध दीपिका जैन 2009 भाग-2 एम.पी. वीकली नोट -08** अवलोकनीय है, इसलिये उससे वादी का कोई समर्थन नहीं माना जा सकता है ।

17. जहां तक प्रदर्श पी.-2/डी.-1 के मूल बयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि है और प्रकरण का प्रश्नगत दस्तावेजी है उसके संबंध में अभिलेख पर वादीगण द्वारा दी गयी साक्ष्य में छल-कपट का आधार लिया गया है और इस बिन्दु पर जो वैधानिक स्थिति है उसके मुताबिक यदि किसी दस्तावेज को दुर्भावना पर आधारित बताया जाता है तो ऐसा कहने वाले पक्षकार पर ही ऐसी दुर्भावना को साबित करने का प्रमाण भार होता है ।

18. जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **इदरोप्प्पा विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडू ए.आई.आर.-1974 सु.को.पेज-555** में मार्गदर्शित किया गया है और इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **हरदयाल विरुद्ध आराम सिंह एवं अन्य 2001 भाग-1 एम.पी.जे. आर. पेज-339** में यह प्रतिपादित किया गया है कि छल को सिद्ध करने का प्रमाण भार पक्षकार पर होता है जो ऐसी प्ली लेते हैं । यह धारा-101 साक्ष्य विधान के संदर्भ में कहा गया है इसलिये प्रदर्श पी.-2/डी.-1 छल-कपट पर आधारित होने के प्रमाण का भार वादीगण पर है ।

19. इस संबंध में वादिनी मथुराबाई वा.सा.-2 ने अपने अभिसाक्ष्य में ईंटों को निकालने के अनुबंध की कहकर धोखे से बिना प्रतिफल बयनामा संपादित कर लेने का अभिसाक्ष्य दिया है, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श डी.-1 के मूल बयनामा पर उसका फोटो लगा हुआ है, जो वह दूर से खींच लिया जाना कहती है लेकिन किसने खींच लिया, कैसे खींच लिया, इस पर वह मौन है ।



प्रदर्श डी.-1 पर उसने अपना अंगूठा निशानी भी स्वीकार किया है, लेकिन वह मिट्टी निकालने के अनुबंध के संदर्भ में करना कहती है और इस बात से भी इंकार करती है कि प्रदर्श डी.-1 की लिखापढी के संबंध में उससे रजिस्ट्रार ने पूछा था ।

20. जबकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से उप पंजीयक गोहद शिवाजीराव माने प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-2 के रूप में परीक्षित कराया गया जिसने अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श डी.-1 का विक्रयपत्र का वैध रूपेण पंजीयन करना बताया है । साथ ही यह भी कहा है कि कोई दस्तावेज के पंजीयन के लिए आने वाले पक्षकारों से वह पूछताछ करता है और प्रदर्श डी.-1 पर उसने काली स्याही से अंगुष्ठ चिन्ह स्टॉम्पो पर लगवाना बताया है, किस हाथ के हैं ऐसा प्रदर्श डी.-1 में अंकित नहीं है । लेकिन उसके मुताबिक बांये हाथ का अंगूठा निशानी स्त्री-पुरुष दोनों के ही लगवाते हैं, जो उनके कार्यालय के भृत्य ने ही लगवाये थे, क्योंकि उस समय वह और उसके कार्यालय का भृत्य ही पदस्थ थे और अंगूठा चिन्ह के नीचे सील में नाम भरा जाता है । प्रदर्श डी.-1 की नीली स्याही के अंगूठे चिन्ह उसने नहीं लगवाये थे, जो दस्तोवज लेखक और ड्राफ्टकर्ता लगवाते हैं ।

21. उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी.-1 के पृष्ठ क्रमांक-1, 2 और 4 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पक्ष में टाइप से कटे हुए शब्दों में लघु हस्ताक्षर नहीं है, ना टीप लगी है । प्रदर्श डी.-1 का पंजीयन दिनांक-5 जुलाई 2010 को होना वह बताता है और प्रदर्श डी.-2 के रूप में जो प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी उसमें सन 2011 अंकित है, जिसके संबंध में उक्त स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा है कि दस्तावेज लेखक या अभिभाषक ने भूल से 2011 लिख दिया होगा । जिसपर उसका ध्यान नहीं गया उसका यह भी कहना है कि जमीन का क्षेत्रफल, प्रतिफल की राशि, पक्षकारों की उपस्थिति, उनकी फोटो, स्टाम्पशुल्क गाइड लाइन अनुसार स्टाम्पशुल्क की जांच वे करते हैं । बाकी विवरण सरसरी तौर पर देखते हैं । उसका यह भी कहना है कि वृद्ध एवं अशिक्षित व्यक्ति होने पर उससे यह भी पूछा जाता है कि भ्रम में या धोखे से बयनामा कराने तो नहीं लाया गया। यह प्रक्रिया वह प्रदर्श डी.-1 के संबंध में भी अपनाई जाना बताता है और उसका यह भी कहना है कि प्रतिफल का लेन देन उसके सामने नहीं हुआ था, कार्यालय के बाहर ही पैसों का लेन देन हो गया था, जिसका उसने लेख किया है ।

22. जिस तरह का प्रदर्श डी.-1 के संबंध में प्र.सा.-2 का अभिसाक्ष्य आया है उससे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा-60, 61 का सम्यक पालन होना परिलक्षित होता है । माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **रामरती शर्मा विरुद्ध श्रीमती शीला शर्मा 2007 वॉल्यूम 03 एम.पी.एल.जे. पेज-589** में यह प्रतिपादित किया गया है कि दस्तावेज के पंजीयन संबंधी पृष्ठांकन तथा पृष्ठांकन के गृन्थ क्रमांक और पृष्ठांकन क्रमांक दिये गये हों तो दस्तावेज का सम्यक रूप से पंजीयन माना जावेगा । जैसा कि हस्तगत प्रकरण में भी दिखाई पड़ता है तथा वादीगण की ओर से ऐसा कोई सुदृढ़ आधार मौखिक साक्ष्य या दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किया है, जिससे उप-पंजीयक के संबंध में कोई आक्षेप लगाया गया हो ।

23. धारा-17 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के मुताबिक सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज कूट रचना होना नहीं माना जा सकता है क्योंकि रजिस्ट्रार से यह प्रत्याक्षा नहीं की जा सकती है कि वह कूट-रचित दस्तावेज का पंजीयन करेगा । इस संबंध में न्याय दृष्टांत **धर्मन्द्र सिंह एवं अन्य विरुद्ध इंदौर नगर निगम 1999 भाग-1 जे.एल.जे. पेज-119** अवलोकनीय है । ऐसे में मथुराबाई का प्रदर्श डी.-1 और प्र.पी.-2 के पंजीकरण के संबंध में की गयी आपत्ति निराधार हो जाती है तथा उसमें सन् के संबंध में जो भिन्नता आयी है, उसका कोई तात्विक मूल्य नहीं रह जाता है क्योंकि पंजीयक अधिकारी के द्वारा मूल दस्तावेज के पृष्ठ क्रमांक-1 लगायत-5 और अंतिम पृष्ठ पर जो मुद्रा लगाकर रिक्तियों की पूर्ति की गयी उनमें तारीख 05 जुलाई 2010 स्पष्ट है, इसलिये प्रदर्श डी.-01 के दस्तावेज के विवरण के बाद जो दिनांक लिखी गयी है वह प्रतिवादीगण के द्वारा सुधारी जाना परिलक्षित होती है । हालांकि उससे गुणदोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उससे प्रदर्श डी.-1 को कूटरचित या संदिग्ध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है । जैसा कि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की तर्कों में आपत्ति रही है ।

24. प्रदर्श डी.-1 वास्तविक डिक्री है या छलकपट पर आधारित दस्तावेज है और कब्जे और प्रतिफल का आदान हुआ या नहीं यह बिन्दु ऐसी स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसके निष्पादन को चुनौती दी गयी हो जैसाकि वादीगण ने दी है । इस संबंध में वादीगण की ओर से जो तीन साक्षी पेश किए गये, उसमें मथुराबाई वा. सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में कोई प्रतिफल राशि प्रतिवादी क्रमांक-2 और 3 के द्वारा

दिये जाने से इंकार किया है और इस बात से भी इंकार किया है कि उसने और उसके लडके ने सामंत सिंह और विसंभर सिंह को 5,67,000/-रूपये में विवादित भूमि विक्रय की थी और उसका प्रदर्श डी.-1 का विक्रयपत्र पंजीकृत कराया था तथा पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया था और कब्जा दिया था। ऐसा ही गुडडीबाई वा.सा.-2 और जगदीश वा.सा.-3 का कहना है। जबकि दोनों ही विक्रयपत्र पंजीयन के समय साफि नहीं थे।

25. इस बिन्दु पर वादीगण के वजाये प्रतिवादीगण की साक्ष्य अधिक प्रबल है, क्योंकि प्रदर्श डी.-1 का दस्तावेज भी उनके पक्ष में है और पंजीयन की सम्यक रूपता भी पायी गयी है। ऐसे में प्रदर्श डी.0-1 के सप्रतिफल के संपादन और निष्पादन के संबंध में विसम्भर सिंह प्र.सा.-1 और उप-पंजीयक शिवाजीराव माने की साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य है, जिन्होंने हर बिन्दु पर स्पष्टीकरण दिया है और विसम्भर सिंह ने अपने हिस्से की राशि में 500-500, 1000-1000 के नोट देने का विवरण पैरा-7 में दिया है। अभिलेख पर ऐसा कोई खण्डन भी नहीं है कि प्रतिवादीगण के द्वारा जो प्रतिफल बताया गया, इतनी राशि में वे भूमि खरीदने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वादीगण की ओर से यह साक्ष्य भी दी गयी है कि प्रतिवादीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में मौखिक साक्ष्य के आधार पर कूटरचना प्रमाणित नहीं होती है तथा परिस्थितियों मुताबिक भूमि प्रतिवादीगण को वादीगण द्वारा दी गयी और प्रदर्श डी.-1 पर उनके छायाचित्र भी लगे हैं, पंजीयन में नियमों का पालन किया गया है, जिससे पंजीयन की विश्वसनीयता उपधारित होगी।

26. प्रदर्श पी.-2/डी.-1 के अध्ययन करने पर उसकी प्रकृति वादग्रस्त भूमि के विक्रय की ही परिलक्षित होती है। न्याय दृष्टांत **मनोहर लाल विरुद्ध सुगमचन्द्र 1977 एम.पी.एल.जे. शॉर्ट नोट 58** में यह प्रतिपादित किया गया है कि दस्तावेज की शब्दावली के आधार दस्तावेज की प्रकृति निर्धारित की जाना चाहिये और न्याय दृष्टांत **रमाकांत दबे विरुद्ध सुरेशचन्द्र 1992 भाग-2 एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट-182** में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक दस्तावेज के निबंधनों से ही उसकी प्रकृति एवं आशय एकत्र किया जाने चाहिये। जिनके आलोक में भी प्रदर्श डी.-1 वैध रूपेण निष्पादन दस्तावेज होकर वास्तविक विक्रय को पुष्ट करता है।

27. प्रदर्श डी.-1 के अनुप्रमाणक साक्षी विश्वनाथ सिंह और बाबूसिंह थे, जिनमें से किसीको भी वादीगण ने अपनी साक्ष्य में पेश नहीं किया है जो वादी के वाद आधारों का समर्थन करते । उनमें से किसी साक्षी का पेश नहीं किया जाना और पेश कराने के लिए कोई प्रयासरत् ना होना इस बात का द्योतक है कि अवश्य ही अनुप्रमाणक साक्षी वादीगण का समर्थन नहीं करते, अन्यथा उनमें से किसी को पेश किया जाता ।

28. जहां किसी पंजीकृत दस्तावेज का विरोध किया जाये वहां कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी से समर्थन कराया जाना चाहिये । यह सही है कि प्रदर्श डी.-1 के आधार पर प्रतिवादीगण उसे सही माने जाने पर बल देते हैं । ऐसे में उनपर इस बात का प्रमाण भार अवश्य है कि वे दस्तावेज के निष्पादन को सिद्ध करें क्योंकि विक्रयपत्र से वादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार किया है । जैसा कि न्याय दृष्टांत **सुमेर सिंह विरुद्ध अकलू 1985 एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट 327 में** मार्गदर्शित किया गया है । इस मामले में प्रतिवादीगण ने निष्पादन कर्ता उपपंजीयक को ही साक्ष्य में पेश किया और उसने प्रतिवादीगण के आधार को अपनी साक्ष्य से समर्थित किया है । ऐसे में भी वादी की साक्ष्य निर्बल हो जाती है और केवल मौखिक साक्ष्य से यह नहीं माना जा सकता कि प्रदर्शी डी.-1 का वास्तविक निष्पादन ना होकर वह छल-कपट पर आधारित दस्तावेज है ।

29. जहां तक वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वादीगण अशिक्षित ग्रामीण अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और उनका शोषण किया गया है, इसे भी भावनात्मक ही कहा जायेगा । जबकि सिविल मामले का निराकरण अभिलेख पर पेश की गयी लेखीय व मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितियों की प्रबलता के आधार पर किया जाता है । वादीगण ने जो यह आधार लिया है कि उन्होंने प्रतिवादीगण के प्रभावशाली होने और उनकी भूमि हड़पने के लिए धोखाधड़ी से बयनामा लिखा लिया । जिसकी पुलिस में भी शिकायत की गयी । पुलिस में की गयी किसी भी शिकायत संबंधी कोई दस्तावेज साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है । यह भी वादीगण के विरुद्ध ही उपधारणा निर्मित करने को बल देता है कि यह आधार भी उनका औपचारिक ही है । अन्यथा उसके बाबत सामग्री पेश की जाती ।

30. विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकारों को अपनी सर्वोत्तम

साक्ष्य पेश करनी चाहिये और यदि उसमें वह कोई लोप या उपेक्षा करता है तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी रहता है । वादीगण का यह तर्क कि प्रदर्श डी.-1 इस आधार पर कूटरचित माना जायेगा कि आम तौर पर भूमि विक्रय करने पर ग्रामीण लोग भूमि की दर निश्चित धनराशि जैसे कि एक लाख रुपये प्रति बीघा या पचास हजार रुपये प्रति बीघा या दो लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बेचते हैं । भले ही शासकीय गाइडलाइन कुछ भी हो जबकि प्रदर्श डी.-1 में प्रतिफल राशि 5,67,000/- रुपये निश्चित की गयी है, जो गाइडलाइन के अनुरूप तत्समय थी। यह इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी संपत्ति के किसी प्रकार के सम्व्यवहार विक्रय आदि के लिए कोई प्रतिफल के संबंध में निश्चित फार्मूला नहीं है, यह पक्षकारों की आपसी सहमति और उकने मध्य के ठहराव प्रस्ताव उपरांत निश्चित शर्तों पर निर्भर करता है कि वे शासकीय रूप से निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप विक्रय या सम्व्यवहार करना चाहते हैं या उससे भिन्न करना चाहते हैं । भिन्न स्थिति में यह अवश्य दस्तवेज में लिखी जाती है । गाइडलाइन के अनुसार कथित प्रतिफल होना चाहिये और वास्तविकता में क्या रहा ? इसलिये वादीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क के आधार पर वाद प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

31. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि विवादित भूमि के अलावा वादीगण के पास जीवन यापन के लिए और कोई भूमि नहीं है और उनके जीवन यापन का एक मात्र साधन छिन गया है । यह शोषण का संकेत है । वादी की मौखिक साक्ष्य में भी विवादित भूमि के अलावा और कोई भूमि ना होना बताया गया है । हालांकि इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण अभिलेख पर नहीं है लेकिन ऐसा भी कोई निश्चित नियम नहीं है कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण भूमि नहीं बेच सकता हो । इसलिये इस आधार पर भी संदेह नहीं माना जा सकता है और सिविल मामलों का निराकरण तो प्रबल संभावनाओं के आधार पर किया जाता है ना कि संदेह के आधार पर इसलिये यह तर्क भी ग्राह्य योग्य नहीं है तथा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यदि मथुराबाई या वादीगण को पैसों की जरूरत होती तो उसकी बहिन जो कि ग्राम गुडीला में रहती है, उससे उधार पैसे लेती, भूमि विक्रय नहीं रकती । यह भी इसलिये मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि ऐसा भी कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य सभी प्रयास कर

ले, उसके बाद वह अपनी भूमि बेचेगा और यह भी आवश्यक नहीं है कि वादिनी को जरूरत पड़ती तो वह अपनी बहन से ही रुपये उधार लेती और उसकी बहिन उधार दे देती। यह तो व्यक्तिगत संबंधों और हैसियत पर निर्भर करता है कि उधार का सम्यक्वहार हो सकता है या नहीं। क्योंकि ऐसा सामान्य रूप से कहा जाता है कि **“उधार प्रेम की कैची है।”** अभिलेख पर जो परिस्थितियों विद्यमान हैं, उससे ऐसा कहीं भी दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है जिससे वादी मथुराबाई और उसकी कथित बहिन के इतने मधुर संबंध रहे हों जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। ना ही वादिनी की कोई ऐसी बहिन साक्ष्य में आई है जो इस बिन्दु को स्पष्ट करती।

32. स्वयं वादीगण के मुताबिक वादग्रस्त भूमि मथुराबाई के पूर्व पति स्व. लालारामा से उत्तराधिकार में मिली जो विक्रय की जाना ही परिलक्षित हो रहा है। धोखाधड़ी इससे भी परिलक्षित नहीं होती है कि प्रतिफल राशि शासकीय गाइडलाइन अनुसार है। यदि भूमि की मात्रा और प्रतिफल में काफी अंतर होता तो इस बिन्दु पर गौर किया जा सकता था।

33. इस प्रकार उक्त समग्र विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रदर्श डी.-1/प्रदर्श पी.-2 का पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक- 5 जुलाई 2010 वास्तविक विक्रय होकर छल-कपट पर आधारित दस्तावेज नहीं है, इसलिये वह वादीगण के मुकाबले शून्य और प्रभावहीन भी नहीं है और वाद प्रस्तुति दिनांक को वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व शेष नहीं था। फलस्वरूप वादप्रश्न क्रमांक- 1 एवं 4 दोनों ही वादीगण के विरुद्ध निर्णीत कर **“अप्रमाणित”** ठहराये जाते हैं।

#### **वाद प्रश्न क्र० 0 -02 एवं 5 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण :-**

उक्त दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा, सरलता के लिए उनका एक साथ विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा है।

34. वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने के बिन्दु को प्रमाणित करने का भार भी वादीगण पर है। अभिवचनों में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि दावा दिनांक को अपने स्वत्व आधिपत्य की बताते हुए दिनांक-3/7/11 को प्रतिवादी क्र.-2 व 3 के द्वारा मौके पर आकर भूमि जोतने के लिए जाने पर उनके स्वत्व से इंकारी की और उनके

साथ विवाद किया तथा उसी समय विक्रयपत्र की जानकारी मिली कि धोखे से करा लिया गया है, जिस पर दावा किया गया । अर्थात् वादीगण प्रारंभिक स्तर पर विवादित भूमि अपने आधिपत्य की बताकर आये हैं उसमें स्वयं वादीगण ने विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्र.-2 व 3 का कब्जे में होना अप्रत्यक्ष रूप से माना है । क्योंकि वादिनी मथुराबाई मिट्टी निकालने के लिए भूमि देना तो स्वयं स्वीकार करती है ।

35. ऐसे में दावा दिनांक को वह काबिज की स्थिति में नहीं है और उसे यह जानकारी भी नहीं है कि बयनामा के आधार पर प्रतिवादी सामंत सिंह और विसम्भर सिंह का नामांतरण हुआ है या नहीं, जबकि उसके ही साक्षी गुडडीबाई वा. सा.-2 ने पैरा-6 में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि भीकाराम और मथुराबाई ने प्रतिवादीगण को कब्जा दिया था लेकिन वह इस आधार पर कब्जा देना कहती है कि प्रतिवादीगण ने सरकारी पत्ती सेटलमेंट कराने का आश्वासन दिया था और नहीं कराया । सरकारी पत्ती सेटलमेंट का उसने आशय स्पष्ट नहीं किया है । वादिनी का भाई जगदीश वा.सा.-3 भी पैरा-5 के अंत में जमीन मिट्टी के लिए दिया जाना बताता है । जैसा उसकी बहिन ने उसे बताया था और इस बात की जानकारी पैरा-6 मुताबिक नहीं है कि बयनामा के वक्त वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा दिया या नहीं । लेकिन वह स्वतः यह कहती है कि कब्जे के संबंध में उसे बाद में पता चला था और वह अपनी बहिन से जानकारी लेकर गवाही देने के लिए आया है । अर्थात् उसे भी कब्जे की जानकारी इस हिसाब से है ।

36. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अंतिम तर्क के स्तर पर वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के अभिवचनों में कब्जा वापिसी की सहायता जोड़ने संबंधी अभिवचनों का संशोधन चाहा गया था जो कि निरस्त किया गया है और प्रकरण के अभिलेख का न्यायिक नोटिस लिया जा सकता है । इससे भी वाद प्रस्तुति दिनांक को वादीगण कब्जे में होना परिलक्षित नहीं होती है । जबकि इस बिन्दु पर भी प्रतिवादीगण की साक्ष्य अधिक प्रबल है । क्योंकि प्रदर्श डी.-1 के पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर उनका राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो चुका है और भूमि बतौर भूमिस्वामी उनके नाम पर खसरा खतौनी में इन्द्राजित हो चुकी है । जैसा कि सन् 2011-12 की प्रदर्श डी.-4 के खसरा और प्रदर्श डी.-3 की खतौनी से स्पष्ट है तथा प्रतिवादीगण की भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्रदर्श डी.-2 भी राजस्व विभाग द्वारा

उन्हें प्रदत्त की जा चुकी है और प्रदर्श डी.-4 में तो उनकी सरसों/राई फसल का भी उल्लेख है । इससे भी उनके काबिज होने की पुष्टि होती है ।

37. वादीगण द्वारा जो वादकारण बताया गया उसके साक्षी जगदीश के अलावा रामनिवास नामक व्यक्ति भी वादी ने बताया है । जैसा कि वादपत्र में भी अंकित किया गया है । किन्तु रामनिवास को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया, जो कि निष्पक्ष व्यक्ति हो सकता था । ऐसे में प्रतिवादीगण विशम्भरसिंह प्र.सा.-1 का यह साक्ष्य कि वह वादग्रस्त भूमि पर विक्रयपत्र के आधार पर काबिज काश्त है, अधिक प्रबल है ।

38. इस तरह से यह प्रमाणित होता है कि वाद प्रस्तुति दिनांक को वादग्रस्त भूमि पर वादीगण वैध आधिपत्य में नहीं थे और उनके द्वारा कब्जा वापिसी की कोई मांग नहीं की गयी है, ऐसे में वादीगण का वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा-34 के परंतुक् की परिधि में आता है, जिसमें यह उपबंध है कि जहां आधिपत्य वापिसी की मांग पारिणामिक स्वरूप की ना हो और आधिपत्य वापिस ना मांगा गया हो तो वाद प्रचलन योग्य नहीं होगा। इससे भी वाद निष्फल है। अतः वादप्रश्न क्रमांक-2 एवं 5 भी वादीगण के विरुद्ध निर्णीत कर 'अप्रमाणित' ठहराये जाते हैं ।

#### **वाद प्रश्न क्र० -03 एवं 6 के संबंध में विश्लेषण एवं निराकरण :-**

उक्त दोनों सहायता संबंधी होने से एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो और सुविधा, सरलता के लिए उनका एक साथ विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा रहा है ।

39. उपरोक्त वादप्रश्नों के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि के ना तो आधिपत्य में है, ना ही उनका कोई दावा प्रस्तुति दिनांक को स्वत्व था । क्योंकि उससे पहले ही वह अपने स्वत्व का अंतरण प्रतिवादी क्रमांक-2 और 3 को कर चुके थे । ऐसे में उनके आधिपत्य में व्यवधान का बतलाया गया वादकारण खण्डित हो जाता है, जिससे वादीगण द्वारा वाद न्यायालय के समक्ष स्वत्व हाथों से आकर भी प्रस्तुत किया जाना भी परिलक्षित नहीं होता है और यह सुस्थापित विधि है कि पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व वाद प्रस्तुति दिनांक को निर्धारित होते हैं, जैसा कि न्याय दृष्टांत सीताराम वि. रामचरण-1994 भाग-1 एम.पी.जे.आर.



**पेज-285** में प्रतिपादित किया है ।

40. इस तरह से वादीगण प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की सहायता पाने के वैध रूपेण अधिकारी नहीं पाये जाते हैं ।

41. फलतः वाद का वाद कतई सदभावनापूर्वक ना होने से सब्यय खारिज किया जाता है ।

42. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने से सूची अनुसार दोनों में से जो भी कम हो वादव्यय में जोड़ा जावे ।

तदनुसार जयपत्र **(Decree )** बनायी जावे ।

दिनांक 8 अगस्त 2014

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

**(पी0सी0आर्य)**  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

**(पी0सी0आर्य)**  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)